

प्रेषक,

ममता श्रीवास्तव,
उप राजिव,
जल्लर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-२ समुदाय केन्द्र,
प्रीति तिहार, नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुशासन

विषय :- लाइनज़: दिनांक: १० जून, २००९
सिंगरेल्स पब्लिक स्कूल मेरठ रोड, मवाना, मेरठ को सी०वी०एस०इ० नईदिल्ली से
संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महेश्वर,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०वी०एस०इ० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित ग्रातिनीओं के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे ००प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वेनिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में तिभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से आधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूँजी में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन नईदिल्ली/कॉसेल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इन्डियनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से ००प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ

--2--

NoC

PRINCIPAL
SPRING DALES PUBLIC SCHOOL
Meerut Road, Mawana

प्रबन्धक
सिंगरेल्स पब्लिक स्कूल संस्था
मवाना (मेरठ)

- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शतों में राज्य सरकार के पूर्णानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अद्यवा पालन करने में निःसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापत्त ते तिया जायेगा ।

भवदीय,

(ममता श्रीवास्तव)

उप सचिव ।

५० संख्या एवं दिनांक तर्दीव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक(मा०), छाता प्रेश, लखनऊ ।
- 2- भण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ ।
- 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल मेरठ रोड, मवाना, मेरठ ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

३।
(ममता श्रीवास्तव)

उप सचिव ।


PRINCIPAL
SPRING DALES PUBLIC SCHOOL
Meerut Road, Mawana


प्रबन्धक
स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल संस्था
मवाना (मेरठ)